

न्यायालय सहायक कलेक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)  
साल नं.  
72 / 2021

# न्यायालय सहायक कलेक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

निर्णय दिनांक  
31.05.2022

पीठासीन अधिकारी - हरविन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1- बलराम शर्मा आत्मज वृजमोहन जी शर्मा जाति ब्राहमण निवासी किशोरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)

(वादी )

बनाम

- 1- जगदीश प्रसाद पुत्र वृजमोहन जी
- 2- ओमप्रकाश पुत्र वृजमोहन जी
- 3- रमेश चन्द्र पुत्र वृजमोहन जी
- 4- सुमित्रा वाई पुत्री वृजमोहन जी
- 5- कमलावाई पत्नी वृजमोहन जी  
जाति ब्राहमण निवासीगण किशोरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)
- 6- मनीषा शर्मा पत्नी ओमप्रकाश शर्मा
- 7- प्रज्जवल शर्मा आत्मज रमेश चन्द्र शर्मा
- 8- मधुवाला शर्मा पत्नी बलराम शर्मा
- 9- आशीष शर्मा पुत्र जगदीश शर्मा
- 10- अन्शुल शर्मा पुत्र ओमप्रकाश शर्मा
- 11- हर्षवर्धन पुत्र बलराम शर्मा
- 12- यशवर्धन पुत्र बलराम शर्मा  
जाति ब्राहमण निवासीगण किशोरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)
- 13- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा(राज0)

(प्रतिवादीगण)

वादी अधिवक्ता की ओर से : श्री धनराज मण्डावत एडवोकेट  
प्रतिवादी की ओर से : श्री गिरिराज प्रसाद मीणा एडवोकेट

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 आर .टी .एक्ट.

निर्णय

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम किशोरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 5 के शामिलती खाते में निम्न भूमियां दर्ज चली आ रही हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 संलग्न है।

खसरा नम्बर 219 की 1.45 हेक्टर  
खसरा नम्बर 224 की 2.58 हेक्टर

सहायक कलेक्टर  
दीगोद, जिला कोटा (राज0)



खसरा नम्बर 275 की 0.01 हेक्टर  
खसरा नम्बर 276 की 0.01 हेक्टर  
खसरा नम्बर 277 की 0.07 हेक्टर  
खसरा नम्बर 280 की 0.14 हेक्टर  
खसरा नम्बर 394 की 0.11 हेक्टर  
कुल 7 किता की 4.37 हेक्टर भूमि

यह कि ग्राम किशोरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में प्रतिवादनी नं0 5 के खाते में निम्न भूमियां दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 संलग्न है।

खसरा नम्बर 204 की 2.65 हेक्टर  
खसरा नम्बर 269 की 1.16 हेक्टर  
कुल 2 किता की 3.81 हेक्टर भूमि

यह कि ग्राम आटोन तहसील दीगोद जिला कोटा में प्रतिवादी नं0 1 व 2 के खाते में खसरा नं0 179 की 0.16 हेक्टर एवं प्रतिवादी नं0 6 के खाते में निम्न भूमियां दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072-74 संलग्न है।

खसरा नम्बर 580/37 की 0.80 हेक्टर  
खसरा नम्बर 581/37 की 0.40 हेक्टर  
कुल 2 किता की 1.20 हेक्टर भूमि

यह कि ग्राम आटोन तहसील दीगोद जिला कोटा में प्रतिवादनी नं0 8 के खाते में निम्न भूमियां दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074-78 संलग्न है।

खसरा नम्बर 11 की 0.36 हेक्टर  
खसरा नम्बर 38 की 1.74 हेक्टर  
कुल 2 किता की 2.10 हेक्टर भूमि

यह कि ग्राम जाखडॉन तहसील दीगोद जिला कोटा में प्रतिवादी नं0 9 के खाते में खसरा नम्बर 429 की 0.55 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 संलग्न है।

यह कि ग्राम जाखडॉन तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के खाते में निम्न भूमियां दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 संलग्न है।

खसरा नम्बर 116 की 1.31 हेक्टर

खसरा नम्बर 402/1006 की 0.80 हेक्टर

कुल 2 किता की 2.11 हेक्टर भूमि

यह कि उपरोक्त तीनों ग्राम किशोरपुरा, आटोन, जाखडॉन की भूमियां वादी व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी भूमियां है। पूर्व में वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वजों के खाते में दर्ज चली आ रही थी। तथा कुछ सम्पतियां पुश्तैनी भूमि की आय से खरीद की गयी है, जो भी

६/०५

सहायक कलक्टर  
दीगोद जिला कोटा (राज.)

पुश्तैनी सम्पत्ति की श्रेणी में आती है। पूर्वजों की मृत्यु के बाद वर्तमान में उनके वारिसान के नाम अलग अलग दर्ज चली आ रही है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य उक्त भूमियों को लेकर आपसी मौखिक विभाजन हो गया है जिसके तहत निम्न प्रकार से भूमियां बटवाय में प्राप्त हुई है जो मोके पर इसी अनुसार काबिज काश्त है:-

1- वादी बलराम शर्मा व प्रतिवादी नं० 1 ता 5 जगदीश प्रसाद, ओमप्रकाश, रमेशचन्द्र, सुमित्राबाई, व कमलाबाई के शामलाती कब्जे में आयी ग्राम किशोरपुरा की भूमि-

ग्राम किशोरपुरा

खसरा नम्बर 275 की 0.01 हेक्टर

खसरा नम्बर 276 की 0.01 हेक्टर

खसरा नम्बर 277 की 0.07 हेक्टर

खसरा नम्बर 280 की 0.14 हेक्टर

कुल 4 किता की 0.23 हेक्टर भूमि

2- वादी बलराम शर्मा के हिस्से व कब्जे में आयी भूमि-

ग्राम जाखडोन

खसरा नम्बर 116 की 1.31 हेक्टर स्वम के खाते की

3- प्रतिवादी नं० 5 कमलाबाई के हिस्से व कब्जे में आयी भूमि-

ग्राम किशोरपुरा

खसरा नम्बर 269 की 1.16 हेक्टर

4- प्रतिवादी नं० 6 मनीषा शर्मा के हिस्से व कब्जे में आयी भूमि-

ग्राम आटोन

खसरा नम्बर 581/37 की 0.40 हेक्टर

5- प्रतिवादी नं० 7 प्रज्जवल शर्मा के हिस्से व कब्जे में आयी भूमि-

ग्राम

खसरा नम्बर रकबा

किशोरपुरा

219 की 1.45 हेक्टर

किशोरपुरा

394 की 0.11 हेक्टर

आटोन

179 की 0.16 हेक्टर में से 0.08 हेक्टर

भूमि प्रतिवादी नं० 2 के खाते से आयेगी

6- प्रतिवादी नं० 9 आशीष शर्मा के हिस्से व कब्जे में आयी भूमि-

ग्राम

खसरा नम्बर रकबा

जाखडोन

1011/429 की 0.88 हेक्टर में से 0.16 हेक्टर

जाखडोन

402/1006 की 0.80 हेक्टर

7- प्रतिवादी नं० 10 अन्शुल शर्मा के हिस्से व कब्जे में आयी भूमि-

ग्राम

खसरा नम्बर रकबा

किशोरपुरा

204 की 2.65 हेक्टर

ह.व.

सहायक कलक्टर  
बैतुद, जिला कोटा (राज.)

प्रतिवादी नं० 11	हर्षवर्धन के हिस्से व कब्जे में आयी भूमि—
ग्राम	खसरा नम्बर रकबा
किशोरपुरा	224 की 2.58 हेक्टर
9- प्रतिवादी नं० 12	यशवर्धन के हिस्से व कब्जे में आयी भूमि—
ग्राम	खसरा नम्बर रकबा
आटोन	11 की 0.36 हेक्टर
आटोन	580/37 की 0.80 हेक्टर
आटोन	38 की 1.74 हेक्टर

यह कि उक्त प्रकार से भूमि प्राप्त होने से ग्राम आटोन, ग्राम किशोरपुरा, व ग्राम जाखडोन के दर्ज खातेदारान के नाम डिलीट किया जाकर मद नम्बर 7 में वर्णित अनुसार पक्षकारान के हिस्से में भूमि दी जाकर उसके पृथक खाते दर्ज किया जाना व शामलार्ती खाते के अलावा अन्य खातों में से प्रतिवादी नं० 1 ता 4 तथा 8 का नलाम डिलीट किया जाना आवश्यक है।

यह कि उपरोक्त कोटुम्बिक समझोता के अनुसार वर्तमान में वादी व प्रतिवादीगण मद नम्बर 7 में वर्णित भूमि पर वहेसियत खातेदार काविज काश्त चले आ रहे है। पक्षकारान उपरोक्त प्रकार से हुये विभाजन को कानूनानुसार विभाजन करा कर खातेदार घोषित होने व अलग अलग खाते भूमि दर्ज कराने व नाम डिलीट कराने के अधिकारी है।

यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण से उपरोक्त भूमियों का कानूनन विभाजनल करा कर अलग खाते दर्ज कराने, व खातेदार घोषित कराकर अपने खाते दर्ज करने हेतु दिनांक 10.06.2021 को कहा तो प्रतिवादीगण विभाजन कराने व अलग अलग खाते दर्ज कराने से व नाम डिलीट कराने से इन्कार कर दिया तथा प्रतिवादी निं० 1 ता 4 ने राजस्व रिकार्ड में विभाजन कराने से इन्कार कर दिया। जिसका कि प्रतिवादीगण को कोई अधिकारी प्राप्त नही है।

अतः वाद पेश कर प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित सादर फरमायी जावे:-

कि ग्राम आटोन व ग्राम जाखडोन तहसील दीगोद की वाद पत्र की मद नं० 1 ता 6 में वर्णित भूमि का पक्षकारान के मध्य हुये विभाजन के तहत वाद की मन नं० 7 में वर्णित अनुसार विभाजन की डिक्री पारित की जावे तथा प्रत्येक पक्षकारान के हिस्से में आयी भूमि का उसे खातेदार घोषित किया जावे तथा शेष खातेदारों का नाम डिलीट किया जावे।

वादी की ओर से निम्न फर्द दस्तावे प्रस्तुत किये गये:-

- 1- नकल जमाबन्दी ग्राम किशोरपुरा
- 2- नकल जमाबन्दी ग्राम आटोन

ह.ब.  
सहायक कलक्टर  
दीगोद, जिला अंरेटा (राज.)

नकल जमाबन्दी ग्राम जाखडोन

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी विधिवत प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण की ओर से श्री गिरिराज प्रसाद मीणा एडवाकेट द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया जो शामिल फाईल किया गया।

विवादित प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर आपसी सहमति से राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली की आदेशिका पर उभय पक्ष के अधिवक्ताओं ने हस्तक्षर कर अपने अपने पक्षकरान की पहिचान की गई।

वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से राजीनामा निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया।

यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य लोक न्यायालय की प्रेरणा एवं प्रतिष्ठित लोगों की समझाईस पर राजीनामों के माध्यम से समझौता निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया है।

1- यह कि उपरोक्त उनवान का प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है जिसमे आज पेशी नियत है।

2- यह कि उक्त वाद में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है जिसके अनुसार पक्षकारान निम्न प्रकार से मोके की भूमि पर काबिज काशत चले आ रहे हैं:-

1- वादी बलराम शर्मा व प्रतिवादी नं0 1 ता 5 जगदीश प्रसाद, ओमप्रकाश, रमेशचन्द, सुमित्राबाई, व कमलाबाई के शामलाती कब्जे में आयी ग्राम किशोरपुरा की भूमि-

ग्राम किशोरपुरा

खसरा नम्बर 275 की 0.01 हेक्टर

खसरा नम्बर 276 की 0.01 हेक्टर

खसरा नम्बर 277 की 0.07 हेक्टर

खसरा नम्बर 280 की 0.14 हेक्टर

कुल 4 किता की 0.23 हेक्टर भूमि

2- वादी बलराम शर्मा के हिस्से व कब्जे में आयी भूमि-

ग्राम जाखडोन

खसरा नम्बर 116 की 1.31 हेक्टर स्वम के खाते की

3- प्रतिवादी नं0 5 कमलाबाई के हिस्से व कब्जे में आयी भूमि-

ग्राम किशोरपुरा

खसरा नम्बर 269 की 1.16 हेक्टर

ह.स.  
सहायक कलक्टर  
खेड, जिला खेडा (राज.)

- प्रतिवादी नं० 6 मनीषा शर्मा के हिस्से व कब्जे में आयी भूमि—  
ग्राम आटोन  
खसरा नम्बर 581/37 की 0.40 हेक्टर
- 5- प्रतिवादी नं० 7 प्रज्जवल शर्मा के हिस्से व कब्जे में आयी भूमि—  
ग्राम खसरा नम्बर रकबा  
किशोरपुरा 219 की 1.45 हेक्टर  
किशोरपुरा 394 की 0.11 हेक्टर  
आटोन 179 की 0.16 हेक्टर में से 0.08 हेक्टर पूर्व दिशा की शेष  
भूमि यथावत रहेगी।
- 6- प्रतिवादी नं० 9 आशीष शर्मा के हिस्से व कब्जे में आयी भूमि—  
ग्राम खसरा नम्बर रकबा  
जाखडोन 402/1006 की 0.80 हेक्टर
- 7- प्रतिवादी नं० 10 अन्शुल शर्मा के हिस्से व कब्जे में आयी भूमि—  
ग्राम खसरा नम्बर रकबा  
किशोरपुरा 204 की 2.65 हेक्टर
- 8- प्रतिवादी नं० 11 हर्षवर्धन के हिस्से व कब्जे में आयी भूमि—  
ग्राम खसरा नम्बर रकबा  
किशोरपुरा 224 की 2.58 हेक्टर
- 9- प्रतिवादी नं० 12 यशवर्धन के हिस्से व कब्जे में आयी भूमि—  
ग्राम खसरा नम्बर रकबा  
आटोन 11 की 0.36 हेक्टर  
आटोन 580/37 की 0.80 हेक्टर  
आटोन 38 की 1.74 हेक्टर

यह कि ग्राम किशोरपुरा की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादी नं० 1, 2, 3, 4 का नाम राजस्व रिकार्ड से डिलीट किया जाना आवश्यक है क्योंकि प्रतिवादी नं० 1, 2 को अन्य गांव की भूमि दे दी गयी है। तथा प्रतिवादी नं० 8 का नाम ग्राम आटोन मे से नाम हटाया जाना आवश्यक है। तथा प्रतिवादी नं० 4 अपना कोई हिस्सा प्राप्त नहीं करना चाहती है।

अतःराजीनामा पेश कर प्रार्थना है कि राजीनामा के आधार पर वाद का निर्णय व डिक्री फरमायी जावे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु लिखा जावे।

६-०५

सहायक कलेक्टर  
जिला अफ़स (राज.)

पत्रावली को प्रस्तुत राजीनामा की बहस पर नियत की गयीं। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। राजस्व रिकॉर्ड एवं वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों तथा उभय पक्ष में प्रस्तुत राजीनामा एवं वादी-प्रतिवादी अधिवक्ताओं की बहस का गहन अवलोकन मनन किया गया। समस्त दस्तावेजों के अवलोकन पर वादी तथा प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद पत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है।

### क्रियात्मक आदेश

वादी का वाद पत्र उभय पक्ष की ओर से सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है एवं विवादित आराजी में उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत आपसी सहमति का राजीनामा स्वीकार किया जाता है:-

- 1- वादी बलराम शर्मा व प्रतिवादी नं० 1 ता 5 जगदीश प्रसाद, ओमप्रकाश, रमेशचन्द्र, सुमित्राबाई, व कमलाबाई के शामलाती कब्जे में आयी ग्राम किशोरपुरा की भूमि-

ग्राम किशोरपुरा

खसरा नम्बर 275 की 0.01 हेक्टर

खसरा नम्बर 276 की 0.01 हेक्टर

खसरा नम्बर 277 की 0.07 हेक्टर

खसरा नम्बर 280 की 0.14 हेक्टर

कुल 4 किता की 0.23 हेक्टर भूमि

- 2- वादी बलराम शर्मा के हिस्से व कब्जे में आयी भूमि-

ग्राम जाखडोन

खसरा नम्बर 116 की 1.31 हेक्टर स्वंम के खाते की

- 3- प्रतिवादी नं० 5 कमलाबाई के हिस्से व कब्जे में आयी भूमि-

ग्राम किशोरपुरा

खसरा नम्बर 269 की 1.16 हेक्टर

- 4- प्रतिवादी नं० 6 मनीषा शर्मा के हिस्से व कब्जे में आयी भूमि-

ग्राम आटोन

खसरा नम्बर 581/37 की 0.40 हेक्टर

- 5- प्रतिवादी नं० 7 प्रज्जवल शर्मा के हिस्से व कब्जे में आयी भूमि-

ग्राम

खसरा नम्बर रकबा

किशोरपुरा

219 की 1.45 हेक्टर

किशोरपुरा

394 की 0.11 हेक्टर

आटोन

179 की 0.16 हेक्टर में से 0.08 हेक्टर पूर्व दिशा की शेष भूमि यथावत रहेगी।

६/११/१९  
सहायक कलेक्टर  
जिला मजिस्ट्रेट (सि.स.)

- प्रतिवादी नं० 9 आशीष शर्मा के हिस्से व कब्जे में आयी भूमि—  
 ग्राम खसरा नम्बर रकवा  
 जाखडोन 402/1006 की 0.80 हेक्टर
- 7- प्रतिवादी नं० 10 अन्शुल शर्मा के हिस्से व कब्जे में आयी भूमि—  
 ग्राम खसरा नम्बर रकवा  
 किशोरपुरा 204 की 2.65 हेक्टर
- 8- प्रतिवादी नं० 11 हर्षवर्धन के हिस्से व कब्जे में आयी भूमि—  
 ग्राम खसरा नम्बर रकवा  
 किशोरपुरा 224 की 2.58 हेक्टर
- 9- प्रतिवादी नं० 12 यशवर्धन के हिस्से व कब्जे में आयी भूमि—  
 ग्राम खसरा नम्बर रकवा  
 आटोन 11 की 0.36 हेक्टर  
 आटोन 580/37 की 0.80 हेक्टर  
 आटोन 38 की 1.74 हेक्टर

कि ग्राम किशोरपुरा की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादी नं० 1, 2, 3, 4 का नाम राजस्व रिकार्ड से डिलीट किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रतिवादी नं० 8 का नाम ग्राम आटोन मे से नाम डिलिट किया जावे तथा प्रतिवादी नं० 4 अपना कोई हिस्सा प्राप्त नहीं करना चाहती है। एवं प्रस्तुत राजीनामा में अंकित प्रतिवादी नं० 7 प्रजब्वल आ० रमेश चन्द्र, प्रतिवादी नं० 9 आशीष शर्मा , प्रतिवादी नं० 10 अन्शुल शर्मा, प्रतिवादी नं० 11 हर्षवर्धन एवं प्रतिवादी नं० 12 यशवर्धन के खाते में दी गई भूमि की नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी ली जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

अतः आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार पक्षकारान को खातेदार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

६/५/२२  
 सहायक कलेक्टर  
 बीगोद, जिला अमेटा (राज.)

मूल वाद में फाईनल डिक्री  
(आ० 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी )  
अज अदालत सहायक कलेक्टर दीगोद जिला कोटा (राज०)

उनवान

- 1- बलराम शर्मा आत्मज वृजमोहन जी शर्मा जाति ब्राहमण निवासी किशोरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा (राज०)

(वादी )

बनाम

- 1- जगदीश प्रसाद पुत्र वृजमोहन जी  
2- ओमप्रकाश पुत्र वृजमोहन जी  
3- रमेश चन्द्र पुत्र वृजमोहन जी  
4- सुमित्रा वाई पुत्री वृजमोहन जी  
5- कमलाबाई पत्नी वृजमोहन जी  
जाति ब्राहमण निवासीगण किशोरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा(राज०)  
6- मनीषा शर्मा पत्नी ओमप्रकाश शर्मा  
7- प्रज्जवल शर्मा आत्मज रमेश चन्द्र शर्मा  
8- मधुबाला शर्मा पत्नी बलराम शर्मा  
9- आशीष शर्मा पुत्र जगदीश शर्मा  
10- अन्शुल शर्मा पुत्र ओमप्रकाश शर्मा  
11- हर्षवर्धन पुत्र बलराम शर्मा  
12- यशवर्धन पुत्र बलराम शर्मा  
जाति ब्राहमण निवासीगण किशोरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा (राज०)  
13- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा(राज०)

(प्रतिवादीगण)

वादी अधिवक्ता की ओर से : श्री धनराज मण्डावत एडवोकेट  
प्रतिवादी की ओर से : श्री गिरिराज प्रसाद मीणा एडवोकेट

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 आर .टी .एक्ट.

मिसल नं० 72/2021

यह मुकदमा आज वारते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादी व मिनजानिव मुददई पेश होकर हुक्त दिया जाता है कि वादी का वाद पत्र उभय पक्ष की ओर से सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है एवं विवादित आराजी में उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत आपसी सहमति का राजीनामा स्वीकार किया जाता है:-

सहायक कलेक्टर  
दीगोद, जिला कोटा (राज०)

वादी बलराम शर्मा व प्रतिवादी नं० 1 ता 5 जगदीश प्रसाद, ओमप्रकाश, रमेशचन्द,  
सुमित्राबाई, व कमलाबाई के शामलाती कब्जे में आयी ग्राम किशोरपुरा की भूमि-

ग्राम किशोरपुरा

- खसरा नम्बर 275 की 0.01 हेक्टर  
खसरा नम्बर 276 की 0.01 हेक्टर  
खसरा नम्बर 277 की 0.07 हेक्टर  
खसरा नम्बर 280 की 0.14 हेक्टर  
कुल 4 किता की 0.23 हेक्टर भूमि
- 2- वादी बलराम शर्मा के हिस्से व कब्जे में आयी भूमि-  
ग्राम जाखडोन  
खसरा नम्बर 116 की 1.31 हेक्टर स्वम के खाते की
- 3- प्रतिवादी नं० 5 कमलाबाई के हिस्से व कब्जे में आयी भूमि-  
ग्राम किशोरपुरा  
खसरा नम्बर 269 की 1.16 हेक्टर
- 4- प्रतिवादी नं० 6 मनीषा शर्मा के हिस्से व कब्जे में आयी भूमि-  
ग्राम आटोन  
खसरा नम्बर 581/37 की 0.40 हेक्टर
- 5- प्रतिवादी नं० 7 प्रज्जवल शर्मा के हिस्से व कब्जे में आयी भूमि-  
ग्राम खसरा नम्बर रकवा  
किशोरपुरा 219 की 1.45 हेक्टर  
किशोरपुरा 394 की 0.11 हेक्टर  
आटोन 179 की 0.16 हेक्टर में से 0.08 हेक्टर पूर्व दिशा की शेष  
भूमि यथावत रहेगी।
- 6- प्रतिवादी नं० 9 आशीष शर्मा के हिस्से व कब्जे में आयी भूमि-  
ग्राम खसरा नम्बर रकवा  
जाखडोन 402/1006 की 0.80 हेक्टर
- 7- प्रतिवादी नं० 10 अन्शुल शर्मा के हिस्से व कब्जे में आयी भूमि-  
ग्राम खसरा नम्बर रकवा  
किशोरपुरा 204 की 2.65 हेक्टर
- 8- प्रतिवादी नं० 11 हर्षवर्धन के हिस्से व कब्जे में आयी भूमि-  
ग्राम खसरा नम्बर रकवा  
किशोरपुरा 224 की 2.58 हेक्टर
- 9- प्रतिवादी नं० 12 यशवर्धन के हिस्से व कब्जे में आयी भूमि-  
ग्राम खसरा नम्बर रकवा  
आटोन 11 की 0.36 हेक्टर

ह.ब.  
सहायक कलक्टर  
दीमोद, जिला क्रेटा (राज.)

आटोन  
आटोन

580/37 की 0.80 हेक्टर  
38 की 1.74 हेक्टर

कि ग्राम किशोरपुरा की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादी नं० 1, 2, 3, 4 का नाम राजस्व रिकार्ड से डिलीट किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा प्रतिवादी नं० 8 का नाम ग्राम आटोन में से नाम डिलिट किया जावे तथा प्रतिवादी नं० 4 अपना कोई हिस्सा प्राप्त नहीं करना चाहती है। एवं प्रस्तुत राजीनामा में अंकित प्रतिवादी नं० 7 प्रजब्वल आ० रमेश चन्द्र, प्रतिवादी नं० 9 आशीष शर्मा, प्रतिवादी नं० 10 अन्शुल शर्मा, प्रतिवादी नं० 11 हर्षवर्धन एवं प्रतिवादी नं० 12 यशवर्धन के खाते में दी गई भूमि की नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी ली जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

अतः आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार पक्षकारान को खातेदार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज 31.05.2022 को जारी किया जाता है।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपयै	पैसे	मुदालयह	रुप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत०	0	0	मुत०	0	0
थमलान	0	0	मिलान	0	0

सहायक कलेक्टर  
सहायक कलेक्टर  
दीगीद  
कैमोद, जिला खेमटा (राज.)